कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, पिन–248195

पत्रांकः 10/सा0प्र0/नीलामी/2018–19/192 दिनांकः 05.10.2018

अल्पकालीन नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून के कौलागढ़ परिसर, में स्थित क्वार्टर सं0 04 एवं 08, टाइप–V में रखी निष्प्रयोज्य सामग्री (ए.सी., कूलर, कुर्सी, मेज, पंखे, इंवेर्टर बैटरी, इवेर्टर, ई.पी.ए.बी.एक्स., सी.वी.टी., वॉटर कूलर, आर0ओ0, Fire Extinguisher इत्यादि) जहाँ है, जैसी है के आधार पर नीलामी हेतु दिनांक 26.10.2018, सायं 04:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदायें अगले कार्यदिवस पर दिनांक 29.10.2018 को प्रातः 11:00 बजे कार्यालय के चतुर्थ तल पर स्थित रिडिंग रूम (416–B) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित नीलामी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में खोली जाएगी।

हस्ता0/–

उपमहालेखाकार/प्रशासन

नीलामी की नियम एवं शर्तें निम्नवत् है :–

1. निविदाकर्ता नीलाम होने वाली सामग्री को दिनांक 15.10.2018 एवं दिनांक 16.10.2018 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 तक सामान्य प्रशासन अनुभाग की अनुमति लेकर भौतिक रूप से देख सकते है।
2. निविदाकर्ता नीलामी योग्य सामग्री को भौतिक रूप से देखने के पश्चात् अपनी निविदा एक सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 26.10.2018 तक निम्न दस्तावेजों के साथ सामान्य प्रशासन अनुभाग में रखी निविदा पेटी में डालेंगे :–
   - (i) निविदाकर्ता को रूपये 10,000/– की Earnest Money Deposit (EMD) का बैंक ड्राफ्ट, जो वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
   - (ii) निविदाकर्ता भौतिक रूप से देखी गयी नीलामी योग्य सामग्री के कुल अनुमानित मूल्य को शब्दों तथा अंको में स्पष्ट रूप से लिखकर एक सादे पेपर पर स्वयं हस्ताक्षरित कर सीलबन्द लिफाफे में कार्यालय के निविदा बॉक्स में डालेंगे।
   - (iii) निविदाकर्ता को Identity Verification हेतु अपना आधार कार्ड/पैन कार्ड की पठनीय छायाप्रति सीलबन्द लिफाफे में अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
3. निविदायें दिनांक 29.10.2018 को निविदाकर्ताओं के समक्ष प्रातः 11:00 बजे नीलामी समिति द्वारा खोली जायेगी। नीलामी योग्य सामग्री का अधिकतम मूल्य देने वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित किया जाएगा। सफल निविदाकर्ता को घोषित मूल्य का 25% उसी दिन कार्यालय में नकद जमा करना होगा तथा शेष धनराशि उसी दिन या अगले दिन नकद जमा करनी होगी। पूर्ण नीलामी धनराशि जमा करने पर ही सफल निविदाकर्ता सामग्री उठा सकता है।
4. निविदाकर्ता जिनके नीलामी योग्य सामग्री का अनुमानित मूल्य कम होगा, वह निविदाकार्ता अपनी E.M.D धनराशि उसी दिन कार्यालय से वापस प्राप्त कर सकेंगे।
5. चूंकि नीलामी योग्य सामग्री ऑफिसर्स आवासों में रखी है, अतः सफल निविदाकर्ता को स्वयं के खर्चे पर वाहन द्वारा सामग्री को बिना क्षतिग्रस्त किये एक ही दिन में प्रातः 10:30 से सायं 05:00 बजे तक उठानी होगी। सायं 05:00 बजे के बाद निविदाकर्ता का कोई व्यक्ति/मजदूर तथा वाहन कार्यालय परिसर में नहीं रहेगा।
6. विभाग बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

हस्ता0/–

वरिष्ठ लेखाधिकारी/सामान्य प्रशासन